दिनांकः-26.08.2022

प्रार्थी / अभियुक्त बाबूराम निराला की ओर से मु०अ०सं० 115 / 2022, धारा 380, 411 भा० दं०सं०, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली में प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है । अभियुक्त जिला कारागार, बरेली में निरुद्ध हैं।

प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त को वाद में झूठा फसाया गया है । अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

सुना एवं अवलोकन किया ।

सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रार्थी / अभियुक्त बाबूराम निराला की ओर से मु०अ०सं० 115 / 2022, धारा 380, 411 भा० दं०सं०, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है ।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं० 03, बरेली